महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

विद्या परिषद् की 43वीं बैठक

कार्यवृत्त (Minutes)

विद्या परिषद् की 43वीं बैठक दिनांक **25 सितम्बर, 2009** को **प्रातः 11.30** बजे बृहस्पति भवन स्थित सभागार में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :–

उपस्थिति :

01. प्रो. भगीरथ सिंह, कुलपति, अध्यक्ष
02. प्रो. के.के. शर्मा, संकायाध्यक्ष (महाविद्यालय) संयोजक– प्राणीशास्त्र अध्ययन बोर्ड एवं विभागाध्यक्ष– प्राणीशास्त्र विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।
03. प्रो. एस.एन. सिंह, संयोजक–राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन अध्ययन बोर्ड एवं विभागाध्यक्ष इतिहास विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।
04. प्रो. बी.पी. सारस्वत, डीन (छात्र कल्याण), संयोजक– ई.ए.एफ.एम. अध्ययन बोर्ड एवं विभागाध्यक्ष– वाणिज्य, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।
05. प्रो. मनोज कुमार, संकायाध्यक्ष (प्रबन्ध अध्ययन), विभागाध्यक्ष– प्रबन्ध अध्ययन विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।
06. श्री शेरसिंह दोचाणिया, संकायाध्यक्ष (वाणिज्य संकाय) प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर ।
07. डॉ. वी.जी. जाधव, संकायाध्यक्ष (शिक्षा), संयोजक–शिक्षा अध्ययन बोर्ड, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर ।
08. डॉ. विमला सिंहल, संयोजक– हिन्दी अध्ययन बोर्ड, एम एल वी कॉलेज, भीलवाड़ा ।
09. डॉ.(श्रीमती) फिरोज बेग, संयोजक–उर्दू, फारसी एवं अरबी अध्ययन बोर्ड, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर ।
10. डॉ. एस.एस.चुग, संयोजक–ड्रॉईंग एण्ड पेंटिंग अध्ययन बोर्ड, दयानन्द महाविद्यालय, अजमेर ।
11. सुश्री अन्जना भार्गव, संयोजक–संगीत अध्ययन बोर्ड, सावित्री कन्या महाविद्यालय, अजमेर ।
12. सुश्री सौभाग्य गोयल, संयोजक– इतिहास अध्ययन बोर्ड, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर ।
13. डॉ. ए.के. मिश्रा, संयोजक– भूगोल अध्ययन बोर्ड, डी.आर.जे. राजकीय कन्या महाविद्यालय, बालोतरा ।
14. प्रो. के.जी.ओझा, संयोजक–रसायनशास्त्र अध्ययन बोर्ड, विभागाध्यक्ष विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायनशास्त्र विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।
15. प्रो. (श्रीमती) जी.के. कोहली, संयोजक, खाद्य एवं पोषण अध्ययन बोर्ड, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।
16. डॉ. नीरज भार्गव, संयोजक–कम्प्यूटर साइंस एवं आई.टी. अध्ययन बोर्ड, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।
17. श्री एन.आर. देवल, संयोजक– व्यवसायिक प्रशासन अध्ययन बोर्ड, प्राचार्य, राज. बांगड महा., पाली ।
18. प्रो. के. एल शर्मा, संयोजक–विधि अध्ययन बोर्ड, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।
19. प्रो. के.सी. शर्मा, विभागाध्यक्ष– पर्यावरण अध्ययन विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।
20. प्रो. लक्ष्मी ठाकुर, विभागाध्यक्ष –जनसंख्या अध्ययन, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।
21. श्रीमती राजेश्वरी माथुर, प्राचार्या, राजकीय महाविद्यालय, किशनगढ़ ।
22. डॉ. एन.एल. शर्मा, प्राचार्य, के.डी.जैन कन्या महाविद्यालय, किशनगढ़ ।
23. श्री विजय कुमार वैद्य, प्राचार्य, राजकीय एम.एल.वी. महाविद्यालय, भीलवाड़ा ।

24. प्रो. एल.सी. खत्री, भूगोल विभाग, प्रतिनिधि, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर ।
25. निदेशक, आयुक्त महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
26. श्री मदन लाल पीतलिया, संकायाध्यक्ष (विधि संकाय), राजकीय विधि महाविद्यालय, भीलवाड़ा ।
27. श्री बी.एल. सुनारिया, कुलसचिव– सदस्य सचिव, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके

01. प्रो. एम.एल.छीपा, संकायाध्यक्ष– स्नातकोत्तर अध्ययन, संयोजक– अर्थशास्त्र अध्ययन बोर्ड, एवं विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, म.द.स.विश्वविद्यालय,अजमेर ।
02. प्रो. सर्वेश पालरिया, संकायाध्यक्ष (विज्ञान संकाय), एवं विभागाध्यक्ष– रिमोट सेंसिंग एवं जियो इन्फॉरमेटिक्स, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।
03. डॉ. बसन्ती लाल शर्मा, संयोजक–संस्कृत अध्ययन बोर्ड एवं प्राचार्य पी.एस.वी.राजकीय महाविद्यालय, शाहपुरा (भीलवाड़ा) ।
04. डॉ. शैलबाला मिश्रा, संयोजक– अंग्रेजी अध्ययन बोर्ड, एम.एल.वी. कॉलेज, भीलवाड़ा ।
05. डॉ. एन.के. बीजावत, संयोजक– समाजशास्त्र अध्ययन बोर्ड, एस.डी. राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर।
06. श्री पारस राज धनोटिया, संयोजक–भौतिकशास्त्र अध्ययन बोर्ड, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, जालौर।
07. श्रीमती इन्दुबाला बाफना, संयोजक–गणित अध्ययन बोर्ड, एमएलवी राज. महा., भीलवाड़ा ।
08. श्रीमती नयन तारा माथुर, संयोजक–गृह विज्ञान, एस एम एम गर्ल्स कॉलेज, भीलवाड़ा ।
09. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर ।
10. प्रो. एन.एस.शेखावत, विभागाध्यक्ष, वनस्पतिशास्त्र विभाग, प्रतिनिधि, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर ।
11. प्रो. बी के श्रीवास्तव, भौतिकशास्त्र, प्रतिनिधि, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।

विशेष आमंत्रित

01. डॉ. जगराम मीणा, परीक्षा नियन्त्रक, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।
02. डॉ. प्रकाश पंकज– उपकुलसचिव (शैक्ष.–।) म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।
03. श्री आर. के. व्यास– उपकुलसचिव (शैक्ष.–।।) म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय ने उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया। विद्या परिषद् की इस बैठक में उपस्थित हुए नए सदस्यों का परिचय कराया गया।

कुलपति महोदय ने आशा व्यक्त की कि, विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और शैक्षणेत्तर गतिविधियों में चहुँमुखी विकास के लिए विद्या परिषद् के सभी सदस्य सहयोग प्रदान करें। तत्पश्चात्, बैठक की कार्यसूची पर औपचारिक विचार–विमर्श आरम्भ हुआ।

मद सं. 1 विद्या परिषद् की दिनांक 10.06.2009 को सम्पन्न हुई 42वीं बैठक के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि निम्नांकित त्रुटि सुधार के साथ करना । **शैक्षणिक–I**

"(1) पृष्ठ संख्या 3 में निर्णय संख्या 23 पर प्रेक्षण शीर्षक में गठित समिति के अन्तर्गत "संकायाध्यक्ष, स्नातकोत्तर–संयोजक" के स्थान पर "संकायाध्यक्ष, महाविद्यालय–संयोजक" पढ़ा जाए ।"

"(2) पृष्ठ संख्या 16 के निर्णय के अन्तर्गत जहां–जहां "O.123(b)" लिखा गया है उसे "O.123(v)" पढ़ा जाए ।"

उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ. 13 (42) शैक्षणिक–I/मदसविवि/ 2009/ 34819–868 दिनांक 11.07.09 को प्रेषित की गई थी ।

निर्णय **विद्या परिषद् की दिनांक 10.06.2009 के कार्यवृत्त की उक्त प्रस्तावित संशोधन के साथ पुष्टि की ।**

मद सं. 2 दिनांक 10.06.2009 को सम्पन्न विद्या परिषद् की 42वीं बैठक के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अवलोकन कर अनुमोदन करना । (अनुपालना रिपोर्ट पटल पर प्रस्तुत की जायेगी) **(परिशिष्ठ–1)** **शैक्षणिक–I**

निर्णय **विद्या परिषद् की दिनांक 10.06.2009 को सम्पन्न हुई 42वीं बैठक के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट का अवलोकन कर निम्नांकित प्रेक्षण के साथ अनुमोदन किया गया:–**

<u>दिनांक 30.04.2009 की विद्या परिषद् की अनुपालना रिपोर्ट के निर्णय संख्या 23 पर प्रेक्षण</u>:– **शोध**

1. **समिति अपनी रिपोर्ट अगली बैठक में आवश्यक रुप से प्रस्तुत करें ।**
2. **शोध पर्यवेक्षकों को निम्नानुसार डिबार किये जाने की संस्तुति की :–**
   - **(i) शोधार्थी व शोध पर्यवेक्षक मौलिक कार्य होने का प्रमाण–पत्र शोध प्रबन्ध के साथ प्रस्तुत करेगा । प्रस्तुत प्रमाण–पत्र गलत पाये जाने पर ।**
   - **(ii) शोध पर्यवेक्षक द्वारा गलत उपस्थिति प्रमाण–पत्र दिये जाने पर ।**
   - **(iii) शोध पर्यवेक्षक द्वारा "Blood Relation" वाले शोधार्थी को शोध कार्य करवाये जाने पर ।**

<u>निर्णय संख्या 29 पर प्रेक्षण</u>:– **गोपनीय**

उक्त निर्णय पुराने नियमों में जोड़कर पढ़ा जावे ।

मद सं. 3 विश्वविद्यालय के अध्यादेश 124.9:(i) A के प्रावधान में निम्नानुसार संशोधन पर विचार करना : **शैक्षणिक / शोध**

वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन
A There shall be in each subject a Research Registration Committee (RRC) consisting of the following :	A There shall be in each subject a Research Registration Committee (RRC) consisting of the following :
1. The Vice Chancellor, Chairman	1. The Dean Post Graduate Studies – Chairman
2. The Dean Post Graduate Studies, Vice Chairman	2. The Dean of the faculty concerned
3. The Dean of the faculty concerned	3. The Head/Incharge of the University Teaching Department. Where the subject is not taught in the University Teaching Department, the Convenor of the Board of Studies who possess Ph.D. degree otherwise any other teacher from the affiliated college teaching the same subject who possess Ph.D. degree nominated by the Vice Chancellor.
4. The Head/Incharge of the University Teaching Department. Where the subject is not taught in the University Teaching Department, the Convenor of the Board of Studies who possess Ph.D. degree otherwise any other teacher from the affiliated college teaching the same subject who possess Ph.D. degree nominated by the Vice Chancellor.	4. One expert nominated by Vice Chancellor out of the panel of six experts proposed by the Head of the Department or the Convenor, Board of Studies, as the case may be.
5. One expert nominated by Vice Chancellor out of the panel of six experts proposed by the Head of the Department or the Convenor, Board of Studies, as the case may be.	5. Director (Research) Member Secretary.
6. Director (Research) Member Secretary	

निर्णय **प्रस्तावित संशोधन प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने की संस्तुति की ।**

मद सं. 4 विश्वविद्यालय के अध्यादेश 124.8:(ix) के वर्तमान प्रावधान को विलोपित करने पर विचार करना और उसके स्थान पर निम्नांकित प्रावधान स्वीकार करने पर विचार करना : **शैक्षणिक / शोध**

"After having satisfied that the necessary changes/modifications as per recommendations of Research Registration Committee (RRC) have been made in the synopsis, the Director, Research shall place the revised synopsis before the Vice Chancellor for approval."

निर्णय **Sub Research Committee को विलोपित करते हुए अध्यादेश 124.8:(ix) में प्रस्तावित संशोधन निम्नानुसार स्वीकार करने की संस्तुति की :–**

"After having satisfied that the necessary changes/ modifications as per recommendations of Research Registration Committee (RRC) have been made in the synopsis, the Director, Research after consulting one expert from panel of six experts shall place the revised synopsis before the Vice Chancellor for approval."

यह भी संस्तुति की कि जब तक उपर्युक्त प्रावधान प्रवृत्त होता है तब तक पूर्व प्रावधान के अनुसार Sub Research Committee के प्रकरण एकमुश्त Deal होंगे ।

मद सं. 5 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल. / पीएच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया विनियम 2009 जो भारत के राजपत्र संख्या 28 दिनांक 11–17 जुलाई, 2009 में प्रकाशित हुआ है, **(परिशिष्ठ–2)** एवं संयुक्त सचिव, यू.जी.सी., नई दिल्ली के पत्र क्र. एफ. 1–1 / 2002 (पी.एस.) पार्ट फाईल–iii दिनांक 28.08.2009 के माध्यम से प्राप्त हुआ है, **(परिशिष्ठ–3)** पर विचार करना । इस क्रम में निम्नांकित बिन्दुओं पर विचार करनाः– **शोध / परीक्षा नियंत्रक**

- विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों मे वार्षिक आधार पर संकाय में उपलब्ध पात्रित निरीक्षकों की संख्या के आधार पर एम.फिल. एवं शोध छात्रों की संचालीय संख्या को सुनिश्चित करेंगे ।
- एम.फिल. / पीएच.डी. की सीटों की संख्या काफी पहले निर्धारित की जाएगी एवं विश्वविद्यालय वेबसाइट एवं विज्ञापन से अधिसूचित की जाएगी । एम.फिल. / पीएच.डी. अध्ययनों की उपलब्ध सीटों की संख्या को व्यापक रूप से विश्वविद्यालय को प्रचार करना होगा और प्रवेश की नियमित आधार पर संचालित करेंगे ।
- (i) विश्वविद्यालय एम.फिल. एवं शोध छात्रों का प्रवेश अपने स्तर पर आयोजित प्रवेश परीक्षा द्वारा करेगा। जो लोग वि.अ.आ. / सी.एस.आई.आर (जे.आर.एफ.) परीक्षा, स्लेट / गेट

उत्तीर्ण हैं या शिक्षक अध्ययातिवृत्तियाँ धारक है और जिन्होंने एम.फिल. कार्यक्रम पी.एच.डी. प्रवेश परीक्षा के लिए उत्तीर्ण कर लिया है उनके लिए विश्वविद्यालय अलग से शर्तों का निर्धारण कर सकता है । यही तरीका एम.फिल. कार्यक्रम की प्रवेश परीक्षा में अपनाया जा सकता है ।

(ii) इसके पश्चात् एक साक्षात्कार का आयोजन होगा।

(iii) साक्षात्कार के समय शोध छात्रों से अपेक्षा की जाती है वे अपने शोध रुचि/क्षेत्र पर विचार–विमर्श करें ।

(iv) पहले से सुनिश्चित की गई छात्रों की संख्या पर ही छात्रों को एम.फिल./पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश दिया जा सकेगा ।

- पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश या तो सीधे या एम.फिल. माध्यम से होगा ।
- प्रवेशीकरण के पश्चात् प्रत्येक एम.फिल./पीएच.डी. छात्र को विश्वविद्यालयों द्वारा आवश्यक न्यूनतम एक (1) सेमेस्टरों की अवधि तक का पाठ्यक्रम कार्य को करना होगा । यह पाठ्यक्रम कार्य पूर्व एम.फिल./पीएच.डी. की तैयारी का माना जाएगा और जो निश्चित रूप से शोध पद्धति का पाठ्यक्रम होगा जिसमें परिणात्मक पद्धति एवं कम्प्यूटर प्रयोग शामिल होगा इसमें उपर्युक्त क्षेत्र में किए गये शोध प्रकाशनों की भी समीक्षा शामिल है । प्रत्येक विश्वविद्यालय न्यूनतम अर्हकारी आवश्यकता को निर्धारित करेंगे और आगे छात्र शोधग्रंथ लिखने के लिए अनुमति देंगे ।
- पाठ्यक्रम कार्य एवं शोध पद्धति को सफलतापूर्वक सम्पूर्ण करने के पश्चात् जो एम.फिल./पीएच.डी. कार्यक्रम का एक अंग रहेगा, एम.फिल./पीएच.डी. शोध छात्र, शोध कार्य को प्रारम्भ करेगा और उचित सीमा अवधि के भीतर अपने शोधग्रंथ ड्राफ्ट को प्रस्तुत करेगा जैसा कि विश्वविद्यालय निर्धारित करेंगी ।
- शोधग्रंथ प्रस्तुत करने के पूर्व छात्र को विभाग में एक पूर्व एम.फिल./पीएच.डी. प्रस्तुतीकरण करना पड़ेगा जो कि समस्त संकाय सदस्यों एवं शोध छात्रों के लिए खुला होगा ताकि टिप्पणियां एवं सुझाव प्राप्त हो सकें जिनको निरीक्षक के सुझाव पर, ड्राफ्ट ग्रंथ में सम्मिलित किया जा सके ।
- शोधग्रंथ को प्रस्तुत करने के पूर्व शोध छात्र एक शोध पत्र निर्दिष्ट पत्रिका में प्रकाशित निर्णय हेतु कराएगा एवं रीप्रिंट या स्वीकृत पत्र के रूप में उनको प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत करेगा ।
- एम.फिल./पीएच.डी. छात्र द्वारा तैयार किए गए शोधग्रंथ को विश्वविद्यालय मे जमा करना होगा जिसका मूल्यांकन कम से कम दो विशेषज्ञों जिनमें से एक को राज्य के बाहर का होना चाहिए । यह विश्वविद्यालय पर निर्भर होगा कि एक परीक्षक देश के बाहर का हो ।

- संतोषजनक मूल्यांकन रिपोर्टों की प्राप्ति के पश्चात् एम.फिल./पीएच.डी. छात्रों को एक मौखिक परीक्षा देनी होगी जिसमें खुले तौर पर, वह बचाव कर सके ।

निर्णय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया विनियम, 2009 के क्रम में निम्नलिखित संस्तुतियां की गयी :

1. एम.फिल/पीएच.डी. में प्रवेश पूर्व परीक्षा आयोजित की जावे ।

2. शोधार्थी के विषय व शोध पर्यवेक्षक को विश्वविद्यालय तय करेगा ।

3. शोधार्थी को पंजीयन के बाद 06 माह का कोर्स करना आवश्यक होगा । इस कोर्स में तीन विषय होंगे परिमाणात्मक पद्धति (**Quantitative Techniques**), कम्प्युटर प्रयोग (**Computer Application**) तथा साहित्य की समीक्षा (**Review of Literature**)

4. निर्धारित अवधि बाद शोधार्थी, शोध प्रबन्ध का प्रारुप प्रस्तुत करेगा ।

5. विश्वविद्यालय द्वारा शोध के संबंध में उपलब्ध सीटों की संख्या वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जायेगी ।

6. शोध प्रबन्ध के साथ शोधार्थी शोध प्रबन्ध की सी.डी. भी प्रस्तुत करेगा । शोध पर्यवेक्षक शोध प्रबन्ध के मूल्यांकन हेतु 15 विषय विशेषज्ञों का पेनल प्रस्तुत करेगा, जिसमें से 10 विशेषज्ञ राज्य के बाहर के तथा 5 विशेषज्ञ राज्य के होंगे ।

7. शोधार्थी को एक शोध पेपर **Reference Journal** में प्रकाशित करना होगा ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया विनियम, 2009) के दिशा–निर्देशों के अनुरुप नियम बनाने के लिए निम्नलिखित समिति का गठन किया जाता है:–

01. संकायाध्यक्ष, स्नातकोत्तर अध्ययन	संयोजक
02. संकायाध्यक्ष, महाविद्यालय	
03. संकायाध्यक्ष, विज्ञान	
04. संकायाध्यक्ष, वाणिज्य	
05. संकायाध्यक्ष, प्रबन्ध अध्ययन	
06. निदेशक, शोध	सदस्य–सचिव

मद सं. 6 राजस्थान के विश्वविद्यालय में शिक्षकों एवं अधिकारियों (नियुक्ति हेतु चयन) अधिनियम 1974 की धारा 5(v) में सन्दर्भित अनुसूची के स्पष्टीकरण II के प्रावधानों के अनुसार निम्नांकित विषयों में प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति किए जाने हेतु विशेषज्ञों की तालिका संस्तुत करना : **संस्थापन**

संस्कृत
अंग्रेजी
हिन्दी
उर्दू/अरेबिक/पर्शियन
विदेशी भाषा
कॉमर्स
इतिहास
अर्थशास्त्र
राजनीति विज्ञान
लोक प्रशासन
मनोविज्ञान
भूगोल
भू–गर्भशास्त्र
जूलोजी
बॉटनी
फिजिक्स
माइक्रो बायोलॉजी
फूड एण्ड न्यूट्रीशन
प्योर एण्ड एप्लायड कैमिस्ट्री
बायो टैक्नोलॉजी
कम्प्यूटर एप्लीकेशन
मैनेजमैण्ट स्टेडिज
वैदिक वाङमय
पत्रकारिता
विधि
शिक्षा
गाँधी अध्ययन
हैरिटेज संरक्षण
आपदा प्रबन्धन
मानव अधिकार

निर्णय **अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र, लोक प्रशासन, गणित, प्राणिशास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्रबन्ध अध्ययन, माइक्रोबायलॉजी, फूड एण्ड न्यूट्रीशियन, कम्प्यूटर साइंस, संस्कृत एवं वाणिज्य के विषय विशेषज्ञों के पेनल को निम्न शर्तो के साथ स्वीकार किया गया तथा शेष विषयों के पेनल विद्या परिषद् की ओर से संस्तुत करने के लिए कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया :–**

1. **विषय विशेषज्ञ राजस्थान के किसी भी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित नहीं होना चाहिए।**
2. **विषय विशेषज्ञ म.द.स. विश्वविद्यालय का पूर्व शिक्षक जो वर्तमान में अन्य विश्वविद्यालय में कार्यरत हो, नहीं होना चाहिए ।**
3. **विषय विशेषज्ञ सेवानिवृत्त नहीं होना चाहिए ।**
4. **विषय विशेषज्ञ शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए ।**
5. **विषय विशेषज्ञ पेनल में पूर्ण पता होना चाहिए ।**

मद सं. 7 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र क्रमांक 20–1/2009(IUC) 23 जुलाई, 2009 के अनुसार Internal Quality Assurance Cell स्थापित करने के मार्गदर्शिका पर विचार करना । **(परिशिष्ठ–4)** **शैक्षणिक–I**

निर्णय **Internal Quality Assurance Cell स्थापित करने के मार्गदर्शिका (कार्य सूची के परिशिष्ठ–4) को स्वीकार किया गया तथा सेल का गठन करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया ।**

मद सं. 8 विद्या परिषद् की निर्णय संख्या 17 दिनांक 31.01.2009 के प्रावधानान्तर्गत गठित निम्नांकित अध्ययन बोर्डो की उनके नाम के सम्मुख वर्णित दिनांक को सम्पन्न बैठक की अनुशंषाओं पर विचार करनाः– **शैक्षणिक–I**

क्र.सं.	संकाय का नाम	अध्ययन बोर्ड/ पाठ्यक्रम समिति का नाम	बैठक दिनांक	परिशिष्ठ
1		ड्राइंग एण्ड पेंटिंग	16.07.09	5
2		मनोविज्ञान	06.07.09	6
3		संस्कृत	14.07.09	7
4		समाजशास्त्र	23.06.09	8
5		गृहविज्ञान	03.07.09	9
6		व्यावसायिक प्रशासन	24.07.09	10
7		एम.बी.ए. (व्यावसायिक अर्थशास्त्र)	28.07.09	11
8		भूगोल	19.06.09	12
9		वनस्पतिशास्त्र	20.06.09	13
10		सेंटर फॉर ई.एस.बी.एम.	25.06.09	14
11		लाइब्रेरी एण्ड इन्फोरमेशन साइंस	29.06.09	15
12		रसायनशास्त्र– संयोजक की अनुशंषा		16

निर्णय **भविष्य में अध्ययन बोर्डो की बैठकों का कार्यवृत्त निर्धारित प्रारूप में तैयार करने की संस्तुति के साथ उपर्युक्त अध्ययन बोर्डो की अनुशंषाओं को निम्नानुसार स्वीकार किया गया :–**

1. **ड्राइंग एण्ड पेंटिंग अध्ययन बोर्ड –** दिनांक 16.07.09 की बैठक के कार्यवृत्त में पाठ्यक्रम के संदर्भ में की गई संस्तुति को स्वीकार किया गया ।

2. **मनोविज्ञान पाठ्यक्रम समिति –** दिनांक 06.07.09 की बैठक के कार्यवृत्त में पाठ्यक्रम के संदर्भ में की गई संस्तुति को स्वीकार किया गया ।

3. **संस्कृत अध्ययन बोर्ड –** दिनांक 14.07.09 की बैठक के कार्यवृत्त में पाठ्यक्रम के संदर्भ में की गई संस्तुति को स्वीकार किया गया ।

4. **समाज शास्त्र अध्ययन बोर्ड –** पाठ्यक्रम के संदर्भ में निर्णय लेने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया ।

5. **गृहविज्ञान अध्ययन बोर्ड –** दिनांक 03.07.09 की बैठक के कार्यवृत्त में पाठ्यक्रम के संदर्भ में की गई संस्तुति को स्वीकार किया गया ।

6. **व्यावसायिक प्रशासन अध्ययन बोर्ड –** दिनांक 24.07.09 की बैठक के कार्यवृत्त में पाठ्यक्रम के संदर्भ में की गई संस्तुति को स्वीकार किया गया ।

7. **एम.बी.ए. (व्यावसायिक अर्थशास्त्र) पाठ्यक्रम समिति –** पाठ्यक्रम के संदर्भ में निर्णय लेने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया ।

8. **भूगोल अध्ययन बोर्ड –** दिनांक 19.06.09 की बैठक के कार्यवृत्त में पाठ्यक्रम के संदर्भ में की गई संस्तुति को स्वीकार किया गया ।

9. **वनस्पति शास्त्र अध्ययन बोर्ड –** दिनांक 20.06.09 की बैठक के कार्यवृत्त में पाठ्यक्रम के संदर्भ में की गई संस्तुति को स्वीकार किया गया ।

10. **ई.एस.बी.एम. पाठ्यक्रम समिति –** दिनांक 25.06.09 की बैठक के कार्यवृत्त में पाठ्यक्रम के संदर्भ में की गई संस्तुति को स्वीकार किया गया ।

11. **लाइब्रेरी एण्ड इनफॉर्मेशन साईंस पाठ्यक्रम समिति –** दिनांक 29.06.09 की बैठक के कार्यवृत्त में पाठ्यक्रम के संदर्भ में की गई संस्तुति को स्वीकार किया गया ।

12. **रसायन शास्त्र अध्ययन बोर्ड –** संयोजक रसायन शास्त्र, अध्ययन बोर्ड की अनुशंसा को स्वीकार किया गया ।

मद सं. 9 स्ववित्त पोषी पाठ्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में गठित समिति की दिनांक 12.12.2008 की अनुशंषाओं को प्रबन्ध बोर्ड द्वारा निश्चय संख्या 7 दिनांक 04.07.2009 द्वारा स्वीकार किए जाने के उपरान्त भी नियमों को व्यावहारिक रुप से लागू करने के सम्बन्ध में कठिनाइयों का निराकरण करने हेतु माननीय कुलपति महोदय के आदेश से पूर्व गठित समिति दिनांक 25.07.2009 की बैठक के कार्यवृत्त **(परिशिष्ठ–17)** पर विचार करना । **वित्त व लेखा**

निर्णय **कार्यसूची का परिशिष्ठ–17 पर प्रस्तुत समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करने की संस्तुति की साथ ही स्ववित्त पोषी पाठ्यक्रम में कार्यरत विभाग के कार्मिकों को 10 माह का निर्धारित मानदेय एवं लेखा एवं वित्त विभाग में कार्यरत कार्मिकों को 12 माह का निर्धारित मानदेय दिये जाने की संस्तुति की ।**

मद सं. 10 **माननीय कुलपति महोदय के निम्नांकित प्रतिवेदित आदेशों की पुष्टि करना :** **शैक्षणिक–I**

1- ifronu g fd] B.A./B.COM/BSC PT.III Exam.2010, (Pass course and Honours) के पाठ्यक्रम वर्ष 2009 की परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार मुद्रित कराने के माननीय कुलपति महोदय ने आदेश प्रदान किये ।

निर्णय ifrofnr vkn'k dh if"V dh A

2- ifronu g fd] विधि अध्ययन बोर्ड की बैठक दिनांक 08.06.2009 के कार्यवृत्त में समिति की संस्तुतियों पर पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में की गई संस्तुतियों को (एल. एल. एम. भाग द्वितीय परीक्षा –2011 के पाठ्यक्रम को छोड़कर) स्वीकृत करने के माननीय कुलपति महोदय ने आदेश प्रदान किये । **शैक्षणिक–I**

निर्णय ifrofnr vkn'k dh if"V dh A

गोपनीय

3. ifronu g fd] एम.फिल. माइक्रोबायोलॉजी परीक्षा, 2008 के दो छात्र और एम.फिल. बायोटैक्नोलॉजी परीक्षा, 2008 के तीन छात्रों के सत्रांक में सेमीनार के अंक सम्मिलित होने से रह जाने के कारण उनके परीक्षा परिणाम में सेमीनार के अंक जोड़कर परीक्षा परिणाम संशोधित करके घोषित किया गया।

निर्णय ifrofnr vkn'k dh if"V dh A

मद सं. 11 माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार पत्रकारिता और जनसंचार संकाय के अन्तर्गत प्रस्तावित त्रिवर्षीय Bachelor of Media communication Studies पाठ्यक्रम की प्रारम्भिक रूप रेखा एवं अन्य आवश्यकताओ पर विचार करने हेतु गठित समिति की दिनांक 05.09.2009 को आयोजित बैठक का कार्यवृत ¼ifjf'k"B&18½ पर विचार करना । **शैक्षणिक–I**

निर्णय **कार्यसूची के परिशिष्ठ–18 पर प्रस्तुत समिति की बैठक के कार्यवृत्त की संस्तुतियों को स्वीकार किया गया ।**

मद सं. 12 विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 10 जून 2009 के मद संख्या 03 के निर्णयानुसार विधि अध्ययन बोर्ड की बैठक दिनांक 08.06.2009 की कार्यसूची में समिति की संस्तुति पर पुनर्विचार करने हेतु निम्नांकित समिति का गठन किया गया थाः– **शैक्षणिक–I**

1. संकायाध्यक्ष कॉलेज
2. संकायाध्यक्ष विधि
3. प्रो0 के.एल.शर्मा

समिति की संस्तुतियॉ विद्या परिषद् की ओर से स्वीकार करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया है । माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार उक्त समिति की दिनांक 18.08.2009 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त ¼ifjf'k"B&19½ पर विचार करना ।

निर्णय **प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाने की संस्तुति की ।**

मद सं. 13 विश्वविद्यालय के अध्यादेश 124.6 के वर्तमान निम्नांकित प्रावधान को उसके सम्मुख प्रस्तावित प्रावधान के अनुसार संशोधित करने पर विचार करना : **शैक्षणिक एवं शोध**

वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन
The following persons will be eligible to act as research supervisors provided they possess a doctoral degree of a recognised University :	The following persons will be eligible to act as research supervisors provided they possess a doctoral degree of a recognised University and are below the age of 70 years.

निर्णय **प्रस्तावित संशोधन प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए जाने की संस्तुति की ।**

मद सं. 14 राजकीय महाविद्यालय, कोटा (स्वायत्तशासी महाविद्यालय, सत्र 1988 से 1995 तक) वर्ष 1991 की एल.एल.बी प्रोफेशनल (ड्यू) के 31 सफल अभ्यर्थियों की उपाधि के लिए हस्तनिर्मित स्वायत्तशासी उपाधियों के खाली उपाधि पत्रक उपलब्ध न होने के कारण अजमेर विश्वविद्यालय, अजमेर से सम्बद्ध महाविद्यालयों के लिए उपलब्ध उपाधिपत्रक पर 'स्वायत्तशासी महाविद्यालय' लिखते हुए उपाधियाँ तैयार कराकर जारी किए जाने पर विचार करना। **उपाधि**

निर्णय **उक्त प्रस्ताव स्वीकार किया ।**

मद सं. 15 विश्वविद्यालय में आरम्भ से ही राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में प्रवृत्त (Rules for the Creation and Maintenance of Endowment Fund in the Non-government Colleges affiliated to the University) के अनुसार इस विश्वविद्यालय में अवस्थित संकायों के अन्तर्गत गैर–सरकारी सम्बद्ध महाविद्यालयों के सम्बन्ध में अक्षय निधि (Endowment Fund) के लिए राष्ट्रीयकृत्त बैंक में साझा स्थायी खाता खुलाया जाता रहा है। इन प्रावधानों में विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन होने के कारण एवं अन्य **शैक्षणिक–।।**

कारणों से जिस प्रकार के परिवर्तनों की आवश्यकता प्रशासनिक स्तर पर अनुभव हुई है, उन्हें दृष्टिगत रखते हुए उन नियमों में **(परिशिष्ठ–20)** प्रस्तावित तालिका के अनुसार संशोधनों पर विचार करना। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित बिन्दुओं पर भी विचार करना :

1. इस विश्वविद्यालय में सृजित संकायों यथा– Faculty of Management Studies, Faculty of Vedic Studies और Faculty of Journalism & Mass Communication के अन्तर्गत सम्बद्ध महाविद्यालयों के लिए अक्षय निधि का प्रावधान करना।
2. शिक्षा संकाय में बी.एड. पाठ्यक्रमों के लिए वर्तमान राशि रु.3.00 लाख का "अक्षय निधि कोष" के संधारण का प्रावधान है। इसमें बढ़ोतरी पर विचार करना।
3. अक्षय निधि कोष की राशि की (fixed deposit) एफ.डी.आर. का पुनर्निवेश, मूल राशि और ब्याज की राशि सहित किए जाने पर विचार करना।

निर्णय **"अक्षय निधि कोष" (Endowment Fund) के उपर्युक्त वर्णित नियमों में कार्यसूची के परिशिष्ठ 20 में प्रस्तावित संशोधन स्वीकार किया । बी.एड़. पाठ्यक्रम हेतु वर्तमान में निर्धारित राशि रू0 3.00 लाख यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया ।**

मद सं. 16 विद्या परिषद् की निर्णय संख्या 9 दिनांक 16.7.2008 द्वारा सम्बद्ध महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों के लिए आवण्टित सीटों में वृद्धि किए जाने हेतु स्वीकृत विनियमों में इस प्रयोजन हेतु आवेदन करने की अन्तिम तिथि का निर्धारण करने पर विचार करना। **शैक्षणिक–।।**

निर्णय **सीट वृद्धि हेतु आवेदन की अन्तिम तिथि सम्बद्धता शुल्क हेतु नियत 31 दिसम्बर निर्धारित किये जाने एवं महाविद्यालयों को 30 जून से पूर्व सीट वृद्धि के संबंध में लिये गये निर्णय की जानकारी आवश्यक रुप से दिये जाने का निर्णय लिया गया तदनुसार विनियम प्रवृत्त करने के लिए कुलपति महोदय को अधिकृत किया ।**

मद सं. 17 विश्वविद्यालय के अध्यादेश 29 में अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करने का प्रावधान निम्नानुसार है : **शैक्षणिक–।**

The Vice-Chancellor may appoint Chairman of Board of Studies in the following order of preference:

(i) University Professors

(ii) Principals of P.G. College in the subject

(iii) HOD's of the Associate Professor rank

(iv) Principals of under graduate college

(v) As per the discretion of the Hon'ble V.C.

विश्वविद्यालय में अध्ययन बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति करते समय विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर, विजिटिंग प्रोफेसर, स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सेवानिवृत्त प्राचार्य जो सेवानिवृत्ति के उपरान्त भी इन पदों के दायित्व पर कार्यरत रहे हैं, उन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया जाता रहा है । अतः इस अध्यादेश के प्रावधान का निर्वचन करना कि इन पदों पर कार्यरत सेवानिवृत्त शिक्षकों को अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष/संयोजक बनाया जाना इस प्रावधान में अवधारित है ।

निर्णय **अगली बैठक में विचार हेतु स्थगित किया ।**

मद सं. 18 विधि अध्ययन बोर्ड की बैठक दिनांक 24.09.2009 का कार्यवृत्त (एलएल.एम. भाग द्वितीय पाठ्यक्रम सत्र 2010–11) विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है । **(परिशिष्ठ–21)** **शैक्षणिक–।**

निर्णय **विधि अध्ययन बोर्ड की बैठक दिनांक 24.09.2009 के कार्यवृत्त को स्वीकार किया ।**

मद सं. 19 विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में प्रथम उपाधि स्तर पर कैरियर ओरियेन्टेड कार्यक्रमों की योजना के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्रांकः 1–1/2005/योजना/सीओई दिनांक 17 अप्रैल, 2006 के द्वारा सूचित किये गये संशोधनों की विद्या परिषद के निर्णय सं. 9 दिनांक 22 मई, 2006 की स्वीकृति के क्रम में उक्त योजना के दिशा निर्देशों के बिन्दु सं. 5.11.1 के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के संयुक्त नाम से प्रमाण पत्र जारी किया जाना स्वीकार किये जाने एवं तत्सम्बन्धी अध्यादेश बनाये जाने के विद्या परिषद की बैठक दिनांक 30 अप्रैल, 2009 के निर्णय सं. 10 की अनुपालना में अध्यादेश का प्रारूप अध्यादेश 24 (बी) के रूप में जोड़े जाने हेतु निम्नानुसार प्रस्तावित है : **शैक्षणिक–।।**

v/;kn'k 24 ¼ch½ & **Joint Certificate for Certificate/ Diploma/Advance Diploma course under Career Advancement Scheme of the University Grants Commission**

The joint certificates with the name of the University and the college for the Certificate/Diploma/Advance Diploma courses along with conventional degrees in Science/Arts/ Commerce faculties under the Career Oriented Programme Scheme of the U.G.C. may be issued by the college concerned provided the proposal of the college to this effect is approved by the Board of Management on the recommendation of the Academic Council of the university.

The college will submit to the Registrar the list of such candidates to whom the joint certificates have been issued.

निर्णय **प्रस्तावित संशोधन प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने की अनुशंसा की ।**

मद सं. 20 संयुक्त सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक D.O. No. F.I-I/2008(CPP-II) दिनांक 11 अगस्त, 2009 द्वारा भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पत्रांकः F.4-41/2003-UI/UI(A) दिनांक 6 अप्रैल 2009 को अधिसूचित UGC (Inspection of Universitites) Rules, 2009 की प्रति सूचनार्थ विश्वविद्यालय को प्रेषित की गई है । **शैक्षणिक–।।**

निर्णय **विद्या परिषद् ने नियमों को अभिलिखित किया ।**

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही पूर्ण हुई ।

कुलपति **कुलसचिव**